Rashtriya Sahara ND 20-Sep-11
p13

एलआईसी को कर मुक्त बांड जारी करने की मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ढांचागत क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने आईएफसीआई, एलआईसी, आईआईएफसीएल और कुछ एनबीएफसी को चालू वित्त वर्ष के दौरान कर बचाने वाले बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इन कंपनियों के अलावा रिजर्व बैंक द्वारा ढांचागत वित्त कंपनी के तौर पर वर्गीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी कर बचत वाले बांड जारी कर धन जुटा सकेंगी। वर्ष 2010-11 में सरकार ने ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिए बचत राशि लगाने के उद्देश्य से दीर्घकालीन कर बचत बांड की अवधारणा पेश की थी। इसके तहत, दीर्घकालीन ढांचागत बांडों में 20,000 रुपए तक के निवेश पर कर में छूट दी गई है। यह मौजूदा एक लाख रुपए तक कर बचत सीमा से ऊपर है।